



2026:AHC:37181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2489/2026

उमेश कुमार तिवारीन

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: आलोक मिश्रा, श्वेतनशु द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री श्वेतानशु द्विवेदी, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे सहायक विकास अधिकारी, सहकारी/सहकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने 16.05.1997 को ग्रुप-2 में कार्यभार संभाला और 04.06.1997 को कार्यभार संभाला तथा रिट याचिकाकर्ता के संबंध में वे 31.08.2025 को सहायक आयुक्त/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी, गाजियाबाद के पद से सेवानिवृत्त हुए, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता नियंत्रण और समझ से परे कुछ कारणों से 29 और 30 जून, 2000 को सेवा से अनुपस्थित था, हालांकि, अब जब सेवानिवृत्ति के बाद, लाभ प्राप्त करने का समय आ गया था, रिट याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का भुगतान नहीं किया गया, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सातवें प्रतिवादी ने पहले ही अनुरोध के रूप में एक पत्र जारी कर दिया था कि सेवा को विशेष रूप से विधि के अंतर्गत सम्मिलित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उक्त कर्तव्य की गणना की जाती है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे अर्जित अवकाश के कर्तव्य के रूप में माना जाता है, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त अवधि को गैर-अवधि नहीं माना जा सकता है तथा इस संबंध में पेंशन के भुगतान के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर पहले तीसरे प्रतिवादी, अतिरिक्त आयुक्त/अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।

4. लखनऊ न्यायालय के पार इस प्रकार की गई प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्णय लिया है, अतिरिक्त आयुक्त/अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 27.02.2026 तक, इसके बाद, तीसरा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

5. यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उसी को प्रेषित कर दिए जाएं।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश